



11771 - कर्ज का भुगतान करने से पहले हज्ज करने का हुक्म

प्रश्न

मेरे पति का व्यापार में घाटा हो जाने के कारण, उनके ऊपर बैंकों और कुछ रिश्तेदारों का बहुत बड़ा कर्ज है, और उन कर्जों के भुगतान में कई साल लगेंगे। क्या हमारे लिए इस स्थिति में हज्ज या उम्रा के लिए जाना जाइज है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

हज्ज की शर्तों में से एक शर्त सक्षमता है, और सक्षमता के अर्थ में आर्थिक रूप से सक्षम होना भी सम्मिलित है, और वह व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज अनिवार्य है जिसका उस से मुतालबा किया जा रहा है इस प्रकार कि ऋणदाता उस व्यक्ति को ऋण का भुगतान किए बिना हज्ज से रोक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह हज्ज नहीं करेगा। क्योंकि वह सक्षम नहीं है। और यदि वे उस से (कर्ज का) मुतालबा न करें और उसे उनकी तरफ से सहनशीलता और नरमी का पता हो तो हज्ज करना जाइज है और वह शुद्ध होगा। इसी प्रकार उस स्थिति में भी हज्ज करना जाइज है जबकि कर्ज की चुकौती का कोई विशेष समय निर्धारित न हो, और जब आसान हो उसे भुगतान करना हो। तथा हज्ज ऋण के भुगतान का एक अच्छा कारण भी हो सकता है। और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।